

Annexure-I

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Karauli.

No.Rev./19/ 1187

Dated 14-08-2019


To WHOM-SO-EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.5004 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D (user agency) for construction work of udaipura to todabhim missing link road. purpose for diversion of forest land in Karauli district falls within jurisdiction of Ghahroli village in Todabhim tehsil.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.5004 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 2 to annexure 4.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above


08-08-2019
(N.M. PAHADIA)
District Collector
कराउली जिल्हा प्रशासन
Karauli (Raj.)
कराउली

बैठक कार्यवाही विवरण


दिनांक 02.08.2019 को उदयपुरा रोड से टोडानीम रोड तक की भिसाग लिंक सड़क के निम्नांग में आ रही बन भूमि के सम्बन्ध में जिला स्तरीय बनायिकार समिति की बैठक जिला कलक्टर कर्तृती की अत्यधिकारी में सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित बन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत बनायासी (बनायिकारों की माल्याता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधान अनुसार बनायिकार का कोई दावा लम्बित तथा प्राक्षियाधीन नहीं है।

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	लायवर्जन के लिए ग्राम वाचित भूमि (है) पंचायत में)		सांकरवाडा टोडानीम	पंचायत समिति
			ग्राम	पंचायत		
1.	गहरीती	1	0.3978			
		21	0.0117			
		22	0.0216			
		23	0.0288			
		31 / 333	0.0225			
		33	0.0180			
	योग (अ)		0.5004			


उप वन संसाक्षक
कर्तृती
सदस्य


अध्यक्ष
जिला परिषद कर्तृती


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद कर्तृती


अध्यक्ष
जिला बनायिकार समिति
एवं जिला कलक्टर कर्तृती

सदस्य


(R.S.Sharma)
President
R.S.R.C

ग्राम पंचायत समिति राज्यालय उपखण्ड अधिकारी, टोडाभीम जिला करौली

नं० ५४२-३

दिनांक ५-९-२०१८


उपखण्ड स्तरीय वनअधिकार समिति की बैठक का आज दिनांक ०५-०९-१८ को उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम की अध्यक्षता में आयोजन किया गया जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे।


१. विकास अधिकारी पंचायत समिति टोडाभीम।
२. तहसीलदार, तहसील टोडाभीम
३. क्षेत्रिय वनप्रसार अधिकारी वन विभाग टोडाभीम।
४. सहायक अभियंता, सा.नि.वि, उपखण्ड टोडाभीम।
५. पंचायत समिति सदस्य
६. पंचायत समिति सदस्य


क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं०	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हेक्टेयर)	ग्राम पंचायत
१	गहरौली	१	०.३९७८	सांकरवाडा
		२१	०.०११७	
		२२	०.०२१६	
		२३	०.०२८८	
		३१/३३३	०.०२२५	
		३३	०.०१८०	
	योग (अ)		०.५००४	

वनअधिकार समिति द्वारा उदयपुरा रोड से टोडाभीम रोड तक की मिसिंग लिक सड़क के निर्माण में आने वाली वन भूमि में किसी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासीयों के अधिकारों का उक्त अधिनियम के तहत उल्लंघन नहीं हो रहा है और न ही उनके हित प्रभावित हो रहे हैं के सम्बंध में ग्राम पंचायत सांकरवाडा द्वारा दिनांक १-९-२०१८ को ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। (प्रतिलिपी संलग्न है)

बैठक में सर्व सम्मति से उपरोक्त उदयपुरा रोड से टोडाभीम रोड तक की मिसिंग लिक सड़क के निर्माण हेतु संशोधित एफआरए प्रमाण पत्र वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जारी करने का अनुमोदन किया गया इसमें दर्ज विवरण के अनुसार उपरोक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा ३ (१) व ३ (२) के प्रावधान अनुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी की संख्या शून्य है।


क्षेत्रिय वन अधिकारी
टोडाभीम


विकास अधिकारी
पंचायत समिति सदस्य
पो. स०. टोडाभीम


सहायक अभियंता (सा.नि.वि)
उपखण्ड टोडाभीम


तहसीलदार
टोडाभीम
टोडाभीम, जिला - करौली

पंचायत समिति सदस्य

ग्राम रक्षी

पंचायत समिति सदस्य

ग्राम खोस

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम उपखण्ड
टोडाभीम (करौली)

Annexure-4

कार्यालय- ग्राम पंचायत, सांकरवाडा

पं.स. टोडाभीम, जिला- करौली (राज.)

क्रमांक :-

दिनांक

वन अधिकार समिति द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत वन भूमि पर वनाधिकार अधिनियम के प्रकरणों पर दिनांक 1-5-2018 को विचार किया गया और पाया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक जीविका आवश्यकताओं के लिये वन भूमि पर निर्भर नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत सांकरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली में उसमें अधिनियम के नियमानुसार भूमि पर वन अधिकार दिये जाने का संकल्प पारित किया जाता है।


सरपंच महोदय के द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) का कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक जीविका आवश्यकताओं के लिये वन भूमि पर निर्भर नहीं है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं०	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हेक्टेयर)	भूमि का प्रकार	उद्देश्य	ग्राम पंचायत
1	गहरौली	1	0.3978	वन भूमि	एफ.आर.ए.	सांकरवाडा
		21	0.0117	वन भूमि	एफ.आर.ए.	
		22	0.0216	वन भूमि	एफ.आर.ए.	
		23	0.0288	वन भूमि	एफ.आर.ए.	
		31/333	0.0225	वन भूमि	एफ.आर.ए.	
		33	0.0180	वन भूमि	एफ.आर.ए.	
		योग (अ)	0.5004			


पंचायत
गहरौली


जिला करौली


सचिव
ग्राम पंचायत सांकरवाडा
जिला करौली


सरपंच
ग्राम पंचायत सांकरवाडा
जिला करौली

विधायक

विधायक

विधायक

आज दिनांक २०५८/१२०५ को कार्यालय ग्राम पंचायत
 साकरवाडा गां अस्सा विकास अधिकारी महादेव
 जी, पंचायत समिति टाटामाई के धन्दा
 २७५/१६ दिनांक १२-४-१८ की आमदाह चापनी के
 भाषण से पुश्चासा-१७ अंतिमिति ०१-११-१८
 तक श्री आवधि जी द्वारा उल्लिखित
 श्री लाभो का अंतिमिति कर रखा गया
 अंतिमिति ३१-३-१८ तक श्री आवधि जी द्वारा उल्लिखित
 अंतिमिति अनुसार ग्राम वार विभिन्न वीजना के
 आमदाह लेट फोर्म के माध्यम से दर्शाया गया
 श्री लाभो को पढ़कर सुनाया गया। एवं लाभो
 विडोध लाग लाभो की जानकारी द्वारा जानकारी प्राप्त
 उसे उदान किये गये लाभो की जानकारी प्राप्त
 की गई। विज्ञप्ति अध्यासता श्री राधकुमार वेरषा
 अधिकारी द्वारा की गया।

विस्मय निम्न दृष्टिकोण से कर्मियों
 उपस्थित हुए। एवं जनपुणि निवि एवं अधिकारी
 आम घनत्वे उपस्थित हुए।

सं	नाम	पद	हस्ताक्षर	M.N.
१	श्री धर्मदीप आर्य	SPO कार्यालय		९४१४७५२८८७
२	श्रीमती राधम भीमन	BDO		९५८८८८८०९९८
३	श्री अमरसुमार वर्मा	सरपंच		८५५८०४६४२८
४	श्री पुष्पेनगामी गोपा	BSO		९५१५८१९६७३
५	उमर अमेनजीरा	(LDC)		९४१३८१६३९६
६	श्री वारुलाल अग्र	नेतृत्व दारा		९९२८३९५५०५
७	दुर्विन द्वारा	जातिप्रबोधित		९५११७८६४२८
८	कामल सेवा	LDC		९३००२२२६२०
९	मुकेशी शर्मा	GRS		९५६०८८८४३१
१०	अंजन कुमार आर्य	पर्यावरणी		९५३०३१४४६३
११	श्रीमती लक्ष्मी प्रसादी	BLDC प्रभा		९७७२२६४०५४
१२	श्रीमती छुट्टन अग्र	ग्राम पंचायत साकरवाडा प० स० टोडाभीम (करीली)		९५५१७५८५४६७

३१. अनील शर्मा	पंचायत सदस्य	अ. अम. शर्मा
अमित शर्मा	पुरुष सदस्य	शर्मा
मोहन शर्मा	पुरुष सदस्य	शर्मा
४०. एका-मारुति	S.V.O	एका
गोपाल चौहान L.S.A	L.S.A	ल. स. ए.
विजय शर्मा	विजय	विजय
जयनेश शर्मा	F.R.S शर्मा	राम जेट्टर
PAVI JAKHAPITA	PS-Toddakhin	पावी जेट्टर
प्रभुजी पाठी	Cross शर्मा	पाठी
केकारा-दास सरी	PS-केकारा शर्मा	केकारा
शंखोदरा	शंखोदरा शर्मा	शंखोदरा
४२. एका-मारुति	TEN PHED	एका
उमर बड़ू	उमर बड़ू	उमर
गोपाल चौहान	TEN JVNL	गोपाल
बलवर्ण शर्मा	T.H JVNL	बलवर्ण
विरचिंद्र शर्मा	T.H JVNL	विरचिंद्र
मुहम्मद शर्मा	T.H	मुहम्मद
रामेश्वर मुहम्मद	CDC गोरखपाटा	रामेश्वर
रामने लाल शर्मा	PG पंचायती	रामने
४५. एका		एका
४६. एका-मारुति	N.T. GURU	एका
४७. एका-मारुति	पंचायती	एका
४८. एका-मारुति	पंचायती	एका
४९. एका-मारुति	एका	एका
५०. एका-मारुति	एका	एका
५१. एका-मारुति	एका	एका
५२. एका-मारुति	Ayurved, M.D.	एका
५३. एका-मारुति	M.D.	एका
५४. एका-मारुति	ANP	एका
५५. एका-मारुति	311 विकास नगर	एका

43

Satendra Kumar Sharma

S.T.S

T.U.

21/3/2010

Mehandipuri

44.

Satendra Kumar Sharma

L.T

45

D.C. Choudhary & Sekhri

1.02.2010

21/3/2010

46.

Hukam Chand Mehta M.N.T

P.Y.C. 2010

21/3/2010

47

लालित शर्मा

L.S

21/3/2010

48

श्रीकृष्णलाल गोदान

A.W.W. 10/10/2010

21/3/2010

49

उमरुला देवी

A.W.W. 21/3/2010

21/3/2010

50

सुधा/म/उमा

A.S 21/3/2010

21/3/2010

51

साकेत्री देवी

A.S 21/3/2010

21/3/2010

52

बीनादेवी जाना

A.S 21/3/2010

21/3/2010

53

आशा कंवा

A.P.W. 21/3/2010

21/3/2010

54

नीलम शर्मा

A.S 21/3/2010

21/3/2010

55

कुसुगलता

A.W.W. 21/3/2010

21/3/2010

56

नारायणी

A.W.W. 21/3/2010

21/3/2010

57

उमा/इंद्री/गुरु

A.W.W. 21/3/2010

21/3/2010

58

कौराला देवी शर्मा

A.W.W. 21/3/2010

21/3/2010

59

शुलतती

A.W.W. 21/3/2010

21/3/2010

60

प्रतिमलाल मीना

V.D.O. 21/3/2010

21/3/2010

61

वर्गलीदाला जावा

A.S 21/3/2010

21/3/2010

62

21/3/2010

21/3/2010

21/3/2010

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम बचायत सांकरवाडा
गो. तोडामीम (करीली)

	प्राचीन विद्या	संग्रहीत विद्या	विद्या का विवरण
१	विजय विद्या	विजय विद्या	विजय विद्या
२	विजय विद्या	विजय विद्या	विजय विद्या
३	विजय विद्या	विजय विद्या	विजय विद्या
४	विजय विद्या	विजय विद्या	विजय विद्या
५	विजय विद्या	विजय विद्या	विजय विद्या
६	विजय विद्या	विजय विद्या	विजय विद्या
७	विजय विद्या	विजय विद्या	विजय विद्या
८	विजय विद्या	विजय विद्या	विजय विद्या
९	विजय विद्या	विजय विद्या	विजय विद्या
१०	विजय विद्या	विजय विद्या	विजय विद्या

ग्राम विकास अधिकारी

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା

FORM-I
(for linear project)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Dausa

No. R11GP(39)2018/ 958

Date : 31-1-2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environmental and Forests(MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it certified that **0.4896 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORK DEPARTMENT** (name of user agency) for **Construction of the Mehandipur Balaji Bypass Road** (purpose for diversion of forest land) in **DAUSA** district falls within jurisdiction of (1) **Udaipura Village to Mehandipur Balaji Bypass (0.4896 hectares)** in Sikrai tehsil.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.4896 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) and Sub-Division Level Committee(s) are enclosed as annexure 1 to 7 respectively.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas & Sub Division Level Committee & Collector have given their consent to it. (The Consent of the concerned Gram Sabhas is not required as per MoEF G.O. letter No. F. No. 11.09.08-FC(pt.) dated 05.02.2013 & 05.01.2013)
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.


District Collector
Dausa

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय जिला दौसा

क्रमांक / सामान्य/2018/654


दिनांक 21/08/18

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
जिला दौसा

विषय : संशोधित एफआरए कार्यवाही विवरण मिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 637-42 दिनांक 20.08.2018 के अनुक्रम में आज दिनांक 21.08.2018 को उदयपुरा से टोडाभीम रोड मिसिंग लिंक सड़क निर्माण के संबंध में बैठक आहूत की गई जिसका बैठक कार्यवाही विवरण एवं उक्त निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायत उदयपुरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


उपखण्ड अधिकारी
सिकराय

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय जिला दौसा

दिनांक : सामान्य / 2018 /

दिनांक

एफआरए सर्टिफिकेट बाबत बैठक कार्यवाही विवरण

उपखण्ड स्तरीय वनअधिकार समिति की बैठक का आज दिनांक 21.08.2018 को उपखण्ड अधिकारी सिकराय की अध्यक्षता में आयोजन किया गया जिसमें निम्न अधिकारी / सदस्य उपस्थित रहे।

- विकास अधिकारी पंचायत समिति सिकराय।
- तहसीलदार, तहसील सिकराय
- क्षेत्रिय वन अधिकारी वन विभाग सिकराय।
- सहायक अभियंता, सा.नि.वि, उपखण्ड सिकराय।
- सहायक अभियंता, पीएचईडी सिकराय
- सहायक अभियंता, जेवीवीएनएल सिकराय
- परियोजना अधिकारी आरएसआरडीसी

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं०	छायवर्जन के लिये वाचित भूमि (हेक्टेयर)	ग्राम पंचायत
1	उदयपुरा	663	0.243	उदयपुरा
		603	0.0495	
		602	0.0450	
		601	0.099	
		612	0.0531	
योग (अ)			04896	

उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा उदयपुरा रोड से टोडामीम रोड तक की मिसिंग लिक सड़क के निर्माण में आने वाली वन भूमि में किसी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासीयों के अधिकारों का उक्त अधिनियम के तहत उल्लंघन नहीं हो रहा है और न ही उनके हित प्रभावित हो रहे हैं के सम्बंध में ग्राम पंचायत उदयपुरा द्वारा दिनांक को ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

बैठक में सर्व सम्मति से उपरोक्त उदयपुरा रोड से टोडामीम रोड तक की मिसिंग लिक सड़क के निर्माण हेतु संशोधित एफआरए प्रमाण पत्र वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जारी करने का अनुमोदन किया गया इसमें दर्ज विवरण के अनुसार उपरोक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की घात 3 (1) व 3 (2) के प्रावधान अनुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियालीन नहीं है उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी की संख्या शून्य है।

क्षेत्रिय वन अधिकारी
सिकराय

विकास अधिकारी
पं० स० सिकराय

सहायक अभियंता (सा.नि.वि)
उपखण्ड सिकराय

तहसीलदार
सिकराय

सहायक अभियंता पीएचईडी
उपखण्ड सिकराय

सहायक अभियंता जेवीवीएल
उपखण्ड सिकराय

परियोजना अधिकारी
आरएसआरडीसी

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिक्काद मुस्ता दीसा

3103
६-२-१९

क्रमांक /सामान्य/2018/741

दिनांक ०५/०७/१८

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
जिला दीसा

*Rev.
Ans
6/9/18*

विषय : संशोधित एफआरए कार्यवाही विवरण भिजवाने प्राप्त.

प्रसंग : आपका प्राक्ति/आर11जीपी(39)2018/6331 दिनांक 30.06.2018।

महोदय,

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 664 दिनांक 21.08.2018
द्वारा एफआरए स्टीफिल्ट का बैठक कार्यवाही विवरण भिजवाया जा चुका है। तथा याम पदायत उदयपुर
प्रभाग सिक्काद का अनापत्ति प्रभाग पत्र सत्सन्न कर श्रीमान को सादर प्रेषित है।

संन्मान संबोधकानुसार (द्वारा)

Munshi
कार्यालय अधिकारी
सिक्काद

कार्यालय- ग्राम पंचायत, उदयपुरा

पं.स. सिकराय, जिला- दौसा (राज.)

उम्मीद: SPL

दिनांक १०/०७/२०१८

वन अधिकार समिति का गठन करने वायत :-

सरपंच महोदय के द्वारा ग्रामीणों को अवगत कराया कि ग्राम सभा आयोजन का मुख्य उद्देश्य उदयपुरा रोड से टोडाभीन रोड तक की मिसिंग लिक सड़क इस ग्राम पंचायत की वन भूमि क्षेत्र से हांकर गुजरेगी। इसके अन्तर्गत आने वाली वन भूमि में किसी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के अधिकारों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अतः उक्त अधिनियम के तहत चिन्हित भूमि में अपनी ग्राम पंचायत में तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस सम्बंध में दिनांक ०५/०६/२०१८ को ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर निम्नानुसार वन अधिकार समिति का गठन किया गया।

व्यक्तियों का नाम	ग्राम पंचायत	पद
① उनेश्वर उपार कौशल	उपपुरा	विधिपत्री
② धनबपास देवी	—	उपसत्रपंथ
③ लालती कौशल	—	विधिपत्री
④ लक्ष्मी सुनार देवी	—	धनबपासराजी
⑤ श्री छहलाल गुरुद्वारा	भास्तुर	अधिकारी
⑥ विनोद भट्ट काली	उडपुरा	संतान देवी
<i>प्रमाणिक वटन सायंकर</i>		
ग्राम पंचायत उदयपुरा		
ग्राम पंचायत उदयपुरा		
जिला दौसा		

कार्यालय- ग्राम पंचायत, उदयपुरा

प.स. सिकराय, जिला- दौसा (राज.)

डामांक :- ३१८

दिनांक १०/१०/२०१७

वन अधिकार समिति द्वारा स्वीकृत वन भूमि पर वनाधिकार अधिनियम के प्रकरणों पर दिनांक को विवार किया गया और पाया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक जीविका आवश्यकताओं के लिये वन भूमि पर निर्भर नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा में उसमें अधिनियम के नियमानुसार भूमि पर वन अधिकार दिये जाने का संकल्प पारित किया जाता है।

सरपंच महोदय के द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) का कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक जीविका आवश्यकताओं के लिये वन भूमि पर निर्भर नहीं है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं०	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हेक्टेयर)	भूमि का प्रकार	उददेश्य	ग्राम पंचायत
1	उदयपुरा	663	0.243	वन भूमि	एफ.आर.ए.	उदयपुरा
		603	0.0495	वन भूमि	एफ.आर.ए.	
		602	0.0450	वन भूमि	एफ.आर.ए.	
		601	0.099	वन भूमि	एफ.आर.ए.	
		602	0.0531	वन भूमि	एफ.आर.ए.	
योग (अ)			04896			

सटवारी
उदयपुरा
जिला दौसा

प्राप्ति संकेतक बटन लाइन
प्राप्ति संकेतक उपकरण
ग्राम पंचायत-उदयपुरा
जिला दौसा

अ.जे.पे. फॉर्म
सरपंच
ग्राम पंचायत उपकरण
ग्राम पंचायत उपकरण
जिला दौसा

वन्धुरात्रि/स्वयं उप अप्यादेश
सेवण्डा परिषद्वा
जिला लौही
पर्याप्ति

Digitized by srujanika@gmail.com

प्राप्ति का नाम उत्तराधिकारी/प्रधान	प्राप्ति का संसदीय वर्ग			
प्राप्ति का नाम उत्तराधिकारी/प्रधान	प्राप्ति का संसदीय वर्ग			
प्राप्ति का नाम उत्तराधिकारी/प्रधान	प्राप्ति का संसदीय वर्ग			
प्राप्ति का नाम उत्तराधिकारी/प्रधान	प्राप्ति का संसदीय वर्ग			

१५८ वार्षिक दृष्टि

Digitized by

प्राचीन विद्या	संक्षेप	विवरण
ग्रन्थालय	ग्रन्थालय के अधिकारी ने ग्रन्थालय के सभी ग्रन्थों की जांच की।	ग्रन्थालय के अधिकारी ने ग्रन्थालय के सभी ग्रन्थों की जांच की।
ग्रन्थालय	ग्रन्थालय के अधिकारी ने ग्रन्थालय के सभी ग्रन्थों की जांच की।	ग्रन्थालय के अधिकारी ने ग्रन्थालय के सभी ग्रन्थों की जांच की।
ग्रन्थालय	ग्रन्थालय के अधिकारी ने ग्रन्थालय के सभी ग्रन्थों की जांच की।	ग्रन्थालय के अधिकारी ने ग्रन्थालय के सभी ग्रन्थों की जांच की।
ग्रन्थालय	ग्रन्थालय के अधिकारी ने ग्रन्थालय के सभी ग्रन्थों की जांच की।	ग्रन्थालय के अधिकारी ने ग्रन्थालय के सभी ग्रन्थों की जांच की।

ମୁହଁରା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

त्रिवेदी त्रिवेदी त्रिवेदी त्रिवेदी त्रिवेदी
त्रिवेदी त्रिवेदी त्रिवेदी त्रिवेदी त्रिवेदी